न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी श्री [illegible]

राजस्व आवेदन संख्या 248/2022

प्रार्थीगण

1 किशनाराम 2 धर्माराम पिसरान चुतराराम जाति जाट निवासी रामपुरा गरल तहसील व जिला बाडमेर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1 मगाराम 2 जोगाराम पिसरान तुलछाराम 3 वाली पत्नी तुलछाराम 4 डूंगाराम 5 नाकाराम पिसरान देराजराम 6 भैराराम पुत्र लाभूराम 7 खेमाराम 8 तुलछाराम पिसरान मीमाराम 9 रेखाराम पुत्र लाभूराम 10 नन्तु पत्नी मीमाराम 11 धनाराम 12 लालाराम 13 भीमाराम पिसरान चौखाराम 14 डालुराम पुत्र उम्मेदाराम जाति जाट निवासी बांकाणा कुआ रामपुरा गरल तहसील व जिला बाडमेर 15 पेम्पो पत्नी पेमाराम 16 हरलाल पुत्र पेमाराम 17 चैनाराम 18 खीयाराम पिसरान उम्मेदाराम जाति जाट निवासी बांकाणा कुआ गरल तहसील व जिला बाडमेर 19 समन्दरसिंह 20 गिरधरसिंह पिसरान पूंजराजसिंह 21 राजकंवर पत्नी पूंजराजसिंह जाति राजपूत निवासी जालीपा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर 22 तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 RLR Act.

उपस्थिति :–

1. श्री मोहनलाल चौधरी, वकील प्रार्थीगण पक्ष।
2. श्री निम्बाराम बेनिवाल, वकील अप्रार्थी संख्या 06 से 09।
3. श्री भोमाराम चौधरी, वकील अप्रार्थी संख्या 19 से 21।

आदेश

दिनांक 18/12/24

संक्षिप्त में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी खरीदसुदा भूमि मौजा रामपुरा गरल पटवार हल्का गरल तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख 435/363 रकबा 53.00 बीघा अर्थात 8.5793 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण द्वारा मगाराम पुत्र खरथाराम से जरिये पंजीबद्ध बेचान पत्र से दिनांक 12.08.1977 को क्रय की गई जो बाद खरीद पटवारी हल्का को नामान्तकरण व लठ्ठा ट्रेस में तरमीम के लिए पटवारी हल्का को दस्तावेज दिये जिस पर नामान्तकरण संख्या 187 पारित किया गया परन्तु लठ्ठा ट्रेस में तरमीम करते समय पटवारी हल्का द्वारा रकबे को कम व गलत रूप से अंकन कर दिया गया परन्तु प्रार्थीगण का मौके पर खरीदसुदा अनुसार कब्जा काश्त बाद खरीद से आज दिन तक चला आ रहा है। उक्त अशुद्ध रकबा अंकन होने से मौके पर तनाम उत्पन हो गया। लिहाजा प्रार्थीगण का ओवदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा रामपुरा गरल पटवार हल्का गरल तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 435/363 रकबा 53.00 बीघा अर्थात 8.5793 हैक्टेयर भूमि में पटवारी हल्का द्वारा की गई गलत तरमीम को निरस्त करते हुए प्रार्थीगण द्वारा खरीदसुदा रकबे के अनुसार लठ्ठा ट्रेस में तरमीम दुरुस्त किये जाने का आदेश फरमावें।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील अप्रार्थी संख्या 06 से 09 व वकील अप्रार्थी संख्या 19 से 21 उपस्थित।

उपखण्ड अधिकारी
बाडमेर

वकील अप्रार्थी संख्या 06 से 09 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य किसी प्रकार का विवाद नही है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन मनगढंत तथा झूठे तथ्यों पर आधारित है, जो निराधार होने से खारिज योग्य है।

वकील अप्रार्थी संख्या 19 से 21 ने बहस कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन मनगंढत तथा झूठे तथ्यों पर आधारित है, जो निराधार होने से खारिज योग्य है। तहसीलदार बाडमेर से मौका रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार बाडमेर ने अपने पत्रांक भू.अ./2024/1447 दिनांक 31.05.2024 को रिपोर्ट इस आशय की उपलब्ध करवाई कि मौजा रामपुरा गरल पटवार हल्का गरल तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 435/363 रकबा 53.00 बीघा भूमि की तरमीम लठ्ठा ट्रेस में मौके के अनुसार नही है तथा रकबा कम अंकित है, जो संलग्न नक्शा में परिशिष्ठ 'अ' अनुसार प्रदर्शित है। मौके पर कब्जा एवं रकबा बरारी अनुसार संलग्न नक्शा में परिशिष्ठ 'ब' अनुसार है। अतः संलग्न नक्शे में परिशिष्ठ 'ब' अनुसार तरमीम दुरूश्त किये जाने की अभिशंषा की है।

उक्त मौका रिपोर्ट पर उभय पक्षों को को सुना गया। वकील प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार बाडमेर की मौका रिपोर्ट के अनुसार मौजा रामपुरा गरल पटवार हल्का गरल तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 435/363 रकबा 53.00 बीघा भूमि में मौके पर कब्जा एवं रकबा बरारी अनुसार संलग्न नक्शा में परिशिष्ठ 'ब' अनुसार तरमीम दुरूश्त करने पर अपनी सहमति प्रकट की। वकील अप्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार बाडमेर की मौका रिपोर्ट पर असहमति व्यक्त करते हुए निवेदन किया उक्त मौका रिपोर्ट अप्रार्थीगण की उपस्थिति में तैयार नही की गई है जो मनगंढत है तथा मिथ्या है जिसके अनुसार तरमीम दुरूस्त नही की जावे तथा प्रार्थीगण का आवेदन पत्र खारिज किया जावें। तहसीलदार बाडमेर से पुनः मौका रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार बाडमेर ने अपने पत्रांक भू.अ./2024/3164 दिनांक 21.11.2024 को रिपोर्ट इस आशय की उपलब्ध करवाई कि मौजा रामपुरा गरल पटवार हल्का गरल तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 435/363 रकबा 53.00 बीघा भूमि की तरमीम लठ्ठा ट्रेस में मौके के अनुसार नही है तथा रकबा कम अंकित है, जो संलग्न नक्शा में परिशिष्ठ 'अ' अनुसार प्रदर्शित है तथा पड़ौसी खसरा संख्या 436/363 तथा 429/363 का रकबा नक्शा लठ्ठा ट्रेस में जमाबन्दी से ज्यादा है मौका कब्जा अनुसार तीनो खसरों की रकबा बरारी की गई मौके कब्जा एवं रकबा बरारी अनुसार संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'ब' के अनुसार है। अतः संलग्न नक्शे में परिशिष्ठ 'ब' अनुसार तरमीम दुरूश्त किये जाने की अभिशंषा की है।

उक्त मौका रिपोर्ट पर उभय पक्षों को को सुना गया। वकील प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार बाडमेर की मौका रिपोर्ट के अनुसार मौजा रामपुरा गरल पटवार हल्का गरल तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 435/363 रकबा 53.00 बीघा भूमि में मौके पर कब्जा एवं रकबा बरारी अनुसार संलग्न नक्शा में परिशिष्ठ 'ब' अनुसार तरमीम दुरूश्त करने पर अपनी सहमति प्रकट की। पड़ौसी खसरा संख्या 436/363 तथा 429/363 का

उप खण्ड अधिकारी
बाडमेर

रकबा नक्शा लठ्ठा ट्रेस में जमाबन्दी से ज्यादा है जो तहसीलदार बाडमेर की मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है। मौका कब्जा अनुसार तीनो खसरों की रकबा बरारी व मौके कब्जा एवं रकबा बरारी अनुसार संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'ब' के अनुसार तरमीम दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार बाडमेर की मौका रिपोर्ट पर असहमति व्यक्त करते हुए निवेदन किया उक्त मौका रिपोर्ट अप्रार्थीगण की उपस्थिति में तैयार नही की गई है जो मनगंढत है तथा मिथ्या है जिसके अनुसार तरमीम दुरूस्त नही की जावे तथा प्रार्थीगण का आवेदन पत्र खारिज किया जावें।

उभय पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज यथा जमाबन्दी संवत् 2073–2076, नक्शों व नामान्तकरणों तथा तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाडमेर ने मौका रिपोर्ट में अंकित किया है कि मौजा रामपुरा गरल पटवार हल्का गरल तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 435 / 363 रकबा 53.00 बीघा भूमि की तरमीम लठ्ठा ट्रेस में मौके के अनुसार नही है तथा रकबा कम अंकित है। पड़ौसी खसरा संख्या 436 / 363 तथा 429 / 363 का रकबा नक्शा लठ्ठा ट्रेस में जमाबन्दी से ज्यादा है मौका कब्जा अनुसार तीनो खसरों की रकबा बरारी की गई मौके कब्जा एवं रकबा बरारी अनुसार संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'ब' के अनुसार है। मौजा रामपुरा गरल पटवार हल्का गरल तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 435 / 363 रकबा 53.00 बीघा भूमि की तरमीम मौके कब्जा एवं रकबा बरारी मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा प्रपत्र 'ब' के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने की अभिशंषा की है। वकील अप्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया जिससे स्पष्ट हो कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन मनगढत है या मौका रिपोर्ट मनगंढत तैयार की गई है। लिहाजा मौजा रामपुरा गरल पटवार हल्का गरल तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 435 / 363 रकबा 53.00 बीघा भूमि तथा खसरा संख्या 436 / 363 तथा 429 / 363 की वर्तमान तरमीम को निरस्त करते हुए मौके कब्जा एवं रकबा बरारी मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'ब' के अनुसार तरमीम दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा रामपुरा गरल पटवार हल्का गरल तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 435 / 363 तथा खसरा संख्या 436 / 363 तथा 429 / 363 की वर्तमान तरमीम को निरस्त करते हुए मौके कब्जा एवं रकबा बरारी तहसीलदार बाडमेर की मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'ब' के अनुसार तरमीम दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर तद्नुसार समस्त राजस्व अभिलेख शुद्ध करें। तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ठ "ब" आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(वीरमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 18/12/24 को सरें आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी